To Make Policy for Promotion of Doctors

34. Sh. GHANSHYAM DASS (Yamunanagar):

14/18/483

Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that a medical officer at Health Department gets his/her first promotion only after a long period of around 20 years to the next level of SMO as result of which many of them retire before getting even the first promotion and there is no system of time bound promotions for medical officers in State; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to make any policy for their promotion in order to decrease the long time period of promotional channel and to avoid stagnation togetherwith the details thereof ?

Reply

Anil Vij, Health Minister Haryana

No Sir, the promotions of Medical Officers are being done by the Health Department regularly on seniority-cum-merit basis as per Haryana Civil Medical (Group-A) Service Rules, 2014. There is no system of time bound promotions in Service Rules.

डॉक्टरों की पदोन्नति के लिए नीति बनाना

34. श्री घनश्याम दास (यमुनानगर) :

14/18/483

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृप्या बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि है कि स्वास्थ्य विभाग में एक चिकित्सा अधिकारी को लगभग 20 वर्षों की लंबी अवधि के बाद एस.एम.ओ के अगले स्तर पर उनको पहली पदोन्नति मिलती है, जिसके परिणामस्वरुप बिना पहली पदोन्नति लिए उनमें से कई पहले ही सेवानिवृत हो जाते हैं, तथा राज्य में चिकित्सा अधिकारियों के लिए समयबद् पदोन्नति की कोई व्यवस्था नहीं है;यदि हां, तो क्या उनके लिए पदोन्नति चैनल की लंबी अवधि को कम करने के लिए कोई नीति बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि प्रगति रुद्धता से बचा जा सके; तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

जवाब

अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा

नहीं, श्रीमान जी, चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरियाणा सिविल चिकित्सा (वर्ग–क) सेवा नियम, 2014 के अनुसार नियमित तौर पर वरिष्ठता–कम–योग्यता के आधार पर की जा रही है। सेवा नियमों में समयबद्ध पदोन्नति की कोई व्यवस्था नहीं है।